क 11/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यशवन्त भाकर आर0ए0एस

मुकदमा नम्बर : राजस्व अपील 12/2017

2017/00174

1– भैराराम पुत्र शेराराम
2– मोहननाथ पुत्र मालाराम
3– सोहननाथ पुत्र अमेदाराम
4– मुखराम पुत्र भैराराम
5– चेतनराम पुत्र हुक्माराम
6– तोलाराम पुत्र अर्जुनराम
7– सांवरमल पुत्र तोलूराम
8– मामराज पुत्र मूलाराम
9– अमरूराम पुत्र रूघाराम
10–मेघाराम पुत्र शेराराम
11–हुक्मसिंह पुत्र देवीसिंह

जाति जाट निवासी कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलाण्टान

बनाम

1– जयचन्द लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम कितासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

::अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::

उपस्थिति :–

1– श्री सत्यनारायण तिवाड़ी – अभिभाषक अपीलार्थीगण
2– श्री ओमप्रकाश चाण्डक – अभिभाषक रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1
3– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 05.02.2018

1. अपीलान्टान् द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टान की कृषि भूमियां ग्राम कितासर भाटियान के खेत खसरा नम्बर 418, 582/419, 588/428, 457, 460, 461, 458, 454 व अन्य खसरों में स्थित खेतों में जाने हेतु वर्षो पुराना रास्ता कितासर भाटियान के मुख्य सडक मार्ग से निकल कर अपीलान्ट के खेतों की तरफ निकलता है। आगे यह रास्ता परसनेऊ मार्ग में मिल जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया। रास्ता खोलने हेतु दिनांक 1.12.2016 को अदालत मातहत तहसीलदार डूंगरगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 24.3.2017 को खारिज कर दिया गया। अतः अपील मंजूर फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुवे बन्द रास्ते को खुलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान का तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टान की बहस है कि अदालत मातहत में विचाराधीन अपीलान्ट की पत्रावली बहस पर नहीं थी। पत्रावली में बिना आगे की कार्यवाही में अपीलान्ट को बिना सुने प्रार्थना पत्र को बिना माईंड अप्लाई किये उनके पीठ पीछे आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही शहादत व जिरह का अवसर प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलान्ट के पीठ पीछे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत की गई। बहस के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 330, आरआरडी 1995 पेज 783, आरआरडी 1989 पेज 667 अंकित की गई। आगे उनकी बहस है कि अपीलान्टान द्वारा दिनांक 01.12.2016 को अवरूद्ध रास्ता खोलने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोके गये रास्ते का निरीक्षण किया गया फर्द मौका में यह स्पष्ट लिखा गया कि उक्त रास्ता बहुत वर्षो पुराना है। खेत खसरा नम्बर 392 के खातेदारों ने अपने खेत के उतरी तरफ व दक्षिण तरफ बाड़ लगाकर अवरूद्ध कर दिया है। जिससे परेशानी हो रही है। खसरा नम्बर 392 के खातेदारों का कहना है कि उनके खेत में कटाणी रास्ता नहीं है। जबकि खेत के उतरी तरफ एक जोहड़पायतन है। एक पक्का तालाब बना हुआ है। काश्तकार अपने पशु को पानी पिलाने के काम में लेते है, रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की जानी आवश्यक है। नक्शा मौका अलग से ट्रेस पेपर पर बनाया हुआ है। मौका रिपोर्ट में स्पष्टतः होने के बावजूद आदेश जैर अपील पारित करने में महत्वपूर्ण भूल की गई है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। कानूनन न्यायालय को स्पीकिंग आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इसके समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2016, आर जे (1) पेज 683, आरएलडब्ल्यू 2015 आरजे (2) पेज 1396 एचसी, आरआरडी 1977 पेज 668, एआईआर 1999 पेज 3381 (बी) (एससी), अपीलान्टान के विद्वान अभिभाषक की आगे बहस है कि अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र ड्रॉप करने का आदेश दिनांक 28.02.2017 को दिया गया फिर इसके नीचे पुनः दिनांक 24.03.2017 की दिनांक का अंकन किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश पुर्वाग्रह से ग्रसित होना प्रतीत होता है। इसके समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 आरजे(2) पेज 1094 अंकित की गई है। प्रकरण में मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त की गई थी। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को दरकिनार कर मौखिक साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया व कानूनन खारिज योग्य है। इस बिन्दु पर सीडीआर (राज)2013 पेज 299 आरआरडी 1962 पेज 13 आरआरडी 1988 पेज 470 (बी) प्रस्तुत करते हुवे आदेश जैर अपील निरस्त करते हुवे बन्द रास्ते को खुलवाने के आदेश करने हेतु निवेदन किया गया है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस है कि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी निर्णय गलत या सही हो सकता है पर वह सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त होना चाहिये। बिना क्षेत्राधिकार के प्रदत्त कोई भी निर्णय कानून की निगाह में शून्य होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। इसके समर्थन में आरआरडी 1958 पेज 89 की नजीर पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 251 आरटीए दिनांक 1.12.2016 को पेश हुआ। उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई चालू कर पटवार हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नियमित पेशी में ले लिया। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए प्रथम 45 दिन संबंधित ग्राम पंचायत समक्ष थी। इसके समर्थन में नोटिफिकेशन नं. एफ (21) रेवेन्यू/ग्रुप–4/80 /34 दिनांक 4.9.1982 की संलग्न की। धारा 251 का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत की बजाय तहसीलदार को प्रस्तुत हो तो तहसीलदार को ग्राम पंचायत को प्रेषित करना चाहिए। आरटीआई की धारा 251 के साथ उपरोक्त अधिसूचना पढ़ने से यह स्पष्ट है कि रास्तों के विवाद को निपटाने के संबंध में तहसीलदार के पास प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इसके क्रमवार इन्द्राज कर संबंधित ग्राम पंचायत को एक सप्ताह में भिजवाना चाहिए था। अपीलान्ट को अपना प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत को पेश करना चाहिए था। चूंकि तहसीलदार द्वारा मामला निर्णित किया जा चुका है। आज की तारीख में प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। इस कारण ग्राम पंचायत को सुनवाई हेतु भेजे जाने की स्थिति नहीं रही है। अपीलान्ट उक्त आदेश के विरूद्ध अपील लाये है। अपीलाधीन आदेश शून्य घोषित करवाना कानूनन संभव नहीं है। अपीलान्ट कोई अनुतोष चाहते है तो वे सक्षम न्यायालय ग्राम पंचायत के समक्ष चाराजौही करे। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस मौका रिपोर्ट पर जोर दिया है जो काल्पनिक मौका स्थिति के विपरीत एवं साज–बाज कर रेस्पोडेन्ट के पीठ पीछे एकपक्षीय रूप से बनाई गई है। जिसकी न तो कोई विधिक मान्यता है ना ही बाध्यकारी है। दिनांक 1.12.2016 को अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र 251 आरटीए पेश हुआ उसी रोज मौका रिपोर्ट के आदेश प्रदत्त है। किसी भी प्रभावी पक्षकार को सूचना नहीं दी गई । पटवारी हल्का व गिरदावर ने मौका देखने जाते वक्त किसी को सूचना नहीं दी गई। मौका रिपोर्ट की कोई कानूनन अहमियत नहीं है। फर्द मौका पर 8 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। जो अपीलान्ट व अपीलान्ट के रिश्तेदार है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट की स्थिति करने की बजाय सलाह दी गई है। जिसकी कोई विधिक मान्यता नहीं है। प्रार्थना पत्र में जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है वो गांव से गांव जाने का सार्वजनिक रास्ता है। प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्ता वर्ष 2015 में बन्द किया गया वर्तमान में सन् 2018 में चल रहा है

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

इतने लम्बे समय से ग्रामीण काश्तकार कहां से आ जा रहे थे। इस संबंध में कोई विवाद प्रस्तुत नहीं हुआं है। अपीलान्ट गांव की पंचायत चुनाव की राजनीति के रंजिश के कारण रास्ते के नाम से प्रार्थी के खेत की कुतरफाड़ कर नुकसान पहुंचाना चाहते है। उपखण्ड अधिकारी डूंगरगढ़ द्वारा नियमित वाद में सुनवाई की जाकर दिनांक 2.2.2017 को अस्थाई–निषेधाज्ञा प्रदत्त की है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी में प्रस्तुत अपील संख्या 07/2017 भैराराम बनाम जयचन्द में आदेश दिनांक 13.02.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना रोक दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने खेत पड़ौसियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जो प्रभावी साक्ष्य है। कानूनन मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। कथित रास्ता आम रास्ता नहीं है। स्वयं अपीलान्टान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके समर्थन में कोई भी मौखिक, दस्तोवजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई के हर प्रकृम में अपीलान्टान उपस्थित रहे है। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत बहस मामला हाजा में चस्पा नहीं होती है। अपीलान्टान द्वारा कथित स्थान पर कोई कदीमी रास्ता नहीं हैं। राजनैतिक पार्टी बाजी के कारण रेस्पोडेन्ट के खेत के मध्य से नया रास्ता कायम करके खेत के टुकड़े करना चाहते है। अपीलान्ट नया रास्ता कायम करवाना चाहते है तो धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड इस तथ्य की ताईद करती है कि अपीलान्ट के खेतों में जाने हेतु वर्षो पुराना रास्ता ग्राम कितासर भाटियान के मुख्य सड़क मार्ग से निकलकर अपीलान्टान के खेतों की तरफ चलता है जो आगे गांव परसनेऊ मार्ग में मिल जाता है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 8.12.2016 के अनुसार रोही कितासर भाटियान स्थित दक्षिणी–पूर्वी शरह के खेतों में आने–जाने का रास्ता खेत खसरा नम्बर 392 के खातेदारों ने अपने खेत में उत्तरी तरफ व दक्षिण तरफ बाड़ लगाकर अवरूद्ध कर दिया है। जिससे उस रास्ते के सदा आने–जाने वाले खातेदारों/काश्तकारों को भंयकर परेशानी हो रही है तथा यह रास्ता सदामत का वर्षो पुराना खेतों का बहता रास्ता है। जिसे खुलवाया जाना अति आवश्यक है तथा यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी नहीं होकर खेतों का बहता रास्ता है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने मुकदमा संख्या 07/2017 भैराराम बनाम जयचन्द में इसी आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु आपीलान्ट के पक्ष में मानते हुवे अपील के निर्णय तक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित की है। इन परिस्थितियों में विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस से हम सहमत नहीं है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरात् भी इस प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम न्यायौचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्टान आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2017 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ निरस्त कर ग्राम कितासर भाटियान के खसरा नम्बर 392 के उत्तरी तरफ व दक्षिण तरफ बाड़ लगाकर अवरूद्ध किये गये रास्ते को खुलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। यह आदेश वादगस्त भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन न होने की स्थिति में ही प्रभावशील रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ निर्णय की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशवन्त भाकर)
अति. जिला कलक्टर,
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner